न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–नेहा गिरि, आई.ए.एस., कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

प्रकरण संख्या :– 87/2018 (RCMS No.- 2017/00143)

व उनवानी प्रकरण :–

किशनी पुत्र दूल्हेराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम रहे तहसील बाडी जिला धौलपुर –प्रार्थी ।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ———————— अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञा पत्र बहाल/नवीनीकरण अन्तर्गत धारा 54 आयुध नियम 1962

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से :– श्री जे. पी. शर्मा, अभिभाषक
2. अप्रार्थी की ओर से :–श्री अनुभव पाराशर, सहा0 लोक अभियोजक (प्रथम)

निर्णय दिनांक 5.3.2019

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार बाडी की रिपोर्ट दिनांक 1.10.2013 के अनुसार प्रार्थी ने लाईसेन्सी बन्दूक के बल पर सरकारी भूमि पर अतिकमण किया है एवं जंगल में आमजन के पशुओं को चरने से रोकता है। तहसीलदार बाडी ने प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने हेतु निवेदन किया। इसी कम में समस्त ग्रामवासी ग्राम रहे तहसील बाडी द्वारा भी एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होनें प्रार्थी से भय होना तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने का कथन किया। जिस पर अप्रार्थी द्वारा अपने आदेश क्रमांक 2780 दिनांक 11.11.2013 से प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 13/1981 आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3) (बी) के तहत निरस्त कर दिया। अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को पुलिस थाना पर जमा कराये जाने के आदेश दिए गए।

अप्रार्थी के आदेश दिनांक 11.11.2013 से व्यथित होकर प्रार्थी ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर में अपील दायर की। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 30.8.2018 के द्वारा प्रार्थी की अपील स्वीकार कर अप्रार्थी के आदेश दिनांक 2780 दिनांक 11.11.2013 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि प्रार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करें।

नेहा गिरि
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर के निर्णय दिनांक 30.8.2018 की पालना में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया । प्रार्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया ।

प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री जे. पी. शर्मा एवं अप्रार्थी की ओर से श्री अनुभव पाराशर सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुए।

प्रकरण में अनुज्ञा पत्र बहाली के सम्बन्ध में पत्र कमांक 63 दिनांक 11.1.2019 से जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 1023 दिनांक 12.2.2019 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में थानाधिकारी थाना बाडी से मार्फत वृत्ताधिकारी वृत्त बाडी से जॉच कराई गई। प्रार्थी ने शस्त्र का कोई दुरूपयोग नही किया है। प्रार्थी के विरूद्ध थाना बाडी पर कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रार्थी का चाल–चलन अच्छा होना पाया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी उक्त रिपोर्ट में प्रार्थी के आर्म्स अनुज्ञा पत्र को बहाल किये जाने की अनुशंषा की है ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी ने अपने हथियार का दुरूपयोग कर राजकीय भूमि पर अतिकमण नहीं किया है। प्रार्थी निर्दोष है प्रार्थी के विरूद्ध किसी भी थाने में लोक शान्ति भंग करने व अतिकमण की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है। इसकी पुष्टि जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट से होती है। इस सम्बन्ध में सीयाराम पुत्र पोखन, रामबावू पुत्र मूँगा, हरीप्रकाश पुत्र नारायण सिंह ने शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं। प्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही द्वेषवश कराई गई है। सभी बाते बनावटी है तथ्यात्मक नहीं है। प्रार्थी के विरूद्ध की गई रिपोर्ट में यह अंकित नहीं किया है कि प्रार्थी ने किस खसरा नम्बर के किस भाग पर कब्जा किया है और ना ही खसरा नम्बर का उल्लेख किया है। प्रार्थी के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही नहीं हुई है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रार्थी ने कभी हथियारों का दुरूपयोग कर लोक शान्ति को भंग की है। अप्रार्थी ने आदेश दिनांक 11.11.2013 एकपक्षीय रूप से प्रार्थी को बिना सुनवाई एवं बिना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये पारित किया है तथा जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 11.1.2019 से प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने की अनुशंषा की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 13/1981 बहाल किया जाकर नवीनीकरण किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस के दौरान तर्क किया कि प्रार्थी ने हथियार के बल पर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम रहे के ग्रामवासियों ने भी प्रार्थी के विरूद्ध एक शिकायत प्रस्तुत की है कि प्रार्थी हथियार का भय दिखाकर जंगल में आमजन के पशुओं को नहीं चरने देता है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी ने हथियार का दुरूपयोग कर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया । प्रार्थी को सुरक्षा की आवश्यकता न होकर प्रार्थी स्वयं सरकारी भूमि के लिए असुरक्षा उत्पन्न कर रहा है। ऐसे हालातों के मद्दे नजर लोक शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से एवं शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी

नेहा गिरि
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है, जो कतही गलत नहीं है। आदेश दिनांक 11.11.2013 कानून के दायरे में रहकर ही पारित किया गया है, जो पूर्णरूपेण न्यायसंगत है, जिसमें कतई किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अप्रार्थी ने आदेश दिनांक 11.11.2013 पारित करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध थाने पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। प्रार्थी का चाल चलन अच्छा है। प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त करने की प्रक्रिया में जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की अहम भूमिका होती है। चूंकि वह जिले की लोक शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए उत्तरदायी अधिकारी है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में विस्तृत प्रावधान दिए गए है। एलआर एक्ट एवं आर्म्स एक्ट दोनों ही अपने आप में पूर्ण एवं पृथक–पृथक कानून है। जिनको एक साथ जोड़कर देखना न्यायसंगत नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 11.01.2019 के द्वारा प्रार्थी के अनुज्ञा पत्र को बहाल किये जाने की अनुशंषा की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी किशनी पुत्र दूल्हेराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम रहे तहसील बाडी थाना बाडी के आर्म्स अनुज्ञापत्र को बहाल किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा पारित आदेश क्रमांक 2780 दिनांक 11.11.2013 निरस्त किए जाने तथा प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 13/1981 को बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति अप्रार्थी, जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को दी जावे। पत्रावली फैसल सुमार हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नेहा गिरि)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर